3379 vide 3493
18.7.13 23.7.13

अनुसूची–14 फारम संख्या–562।

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या– 18 / 12–13

श्री अर्जुन प्रसाद सिंह बनाम श्रीमति लीला देवी

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	अपीलकर्त्ता एवं उत्तर–वादी का बहस सुना। अपीलकर्त्ता ने प्रस्तुत अपील धारा 7 बिहार म्युटेशन एक्ट 2011 के तहत दाखिल किया है। अपीलकर्त्ता अर्जुन प्रसाद सिंह पुत्र स्व0 राम अशीष ग्राम + पो0– बकमंडल थाना + अंचल– बहेड़ी जिला– दरभंगा ने अंचल अधिकारी बहेड़ी के आदेश दिनांक 26.11.12 दाखिल खारिज वाद सं0– 1505 / 12–13 खेसरा नं0– 561, 549, 562, 563, 564, 501, रकवा 05 कट्ठा मौजा बकमंडल अचल बहेड़ी से संबंधित है के विरूद्ध दाखिल किया है तथा प्रार्थना किया है कि अंचल अधिकारी बहेड़ी के आदेश दिनांक 26.11.2012 को निरस्त किया जाय। अपीलकर्त्ता ने धारा– 5 लिमिटेशन अधिनियम के अन्तर्गत अपील दायर करने में विलम्ब को माफ करने हेतु आवेदन शपथ पत्र से समर्थित 10.01.2013 को दाखिल किया। अपीलकर्त्ता का कथन है कि उत्तरवादी लीला देवी ने गैर कानूनी ढ़ंग से अपीलकर्त्ता की जमीन खरीद किया है जिसे अपीलकर्त्ता ने अपने खास कोष से अपने पत्नी के नाम खरीदा तथा खरीदगी के रोज से दखल कब्जा में चले आ रहे हैं। अपीलकर्त्ता ने उत्तरवादी के नाम से केवाला दिनांक 05.10.2012 को रद्द करने हेतु हकियत वाद सं0– 353 / 12 सब जज 4 के न्यायालय में दाखिल किया है जो लम्बित है। अपीलकर्त्ता का कथन है कि अपीलकर्त्ता को अंचल अधिकारी के आदेश दिनांक 26.11.2012 की जानकारी 30.12.2012 को हुई। अपीलकर्त्ता को आदेश की सच्ची प्रतिलिपि दिनांक 04.01.2013 को प्राप्त हुआ। अपीलकर्त्ता का कथन है कि अंचल अधिकारी का आदेश उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है। अंचल अधिकारी ने अनिवार्य पक्षकार को आदेश पारित करने से पूर्व कोई नोटिस निर्गत नहीं किया तथा आदेश जल्दबाजी में पारित किया। आदेश कानून के नजर में गलत है। अतः आदेश दिनांक 26.11.2012 को निरस्त किया जाय। उत्तरवादी ने अपील वाद में उपस्थित होकर दिनांक 12.03.2013 को लिखित प्रतिउत्तर दाखिल किया है तथा उत्तरवादी का कहना है निम्न न्यायालय का आदेश कानून के नजर में सही है। अपीलकर्त्ता का अपील काल बाधित है। उत्तरवादी ने श्रीमति शांति देवी पत्नी अर्जुन प्रसाद सिंह से उचित जरसेमन देकर जमीन खरीद किया। उत्तरवादी के विक्रेता शांति देवी ने केवाला दिनांक 26.06.1975 दस्तावेज सं0– 11260, 11261, 11262 से जमीन खरीदा तथा शांति देवी ने अपने	

28/09/13

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	नाबालिग पुत्र उमेश प्र0 सिंह (अब मृतक) के नाम जो भी निबंधित दस्तावेज के माध्यम से अर्थात् पाँच बिक्रीनामा दास्तावेज से जमीन खरीद किया। अपीलकर्त्ता जो श्रीमति शांति देवी के पति हैं, शांति देवी के साथ ही रहते हैं जिससे शांति देवी ने सभी मूल कागजात अपीलकर्त्ता के पास ही छोड़ दिया था। उत्तरवादी ने वास्तविक भूमि स्वामी से निबंधित दस्तावेज दिनांक 05.10.2012 से जरसेमन अदायकर के विवादी सम्पत्ति को खरीदा और खरीदने पश्चात् दाखिल खारीज हेतु आवेदन अंचल अधिकारी बहेड़ी के यहाँ दिनांक 11.11.2012 को दाखिल किया। अंचल अधिकारी बहेड़ी ने हल्का कर्मचारी से जाँच प्रतिवेदन की माँग की तथा आम सूचना भी निर्गत किया, दिनांक 26.11.2012 को आम सूचना के तामिला प्राप्त होने के पश्चात् दाखिल खारिज की स्वीकृति का आदेश पारित किया तथा शुद्धि पत्र निर्गत करने हेतु आदेश पारित किया। उत्तरवादी ने अपने उत्तर पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि विद्वान अंचलाधिकारी के आदेश दिनांक 26.11.2012 की जानकारी होने के पश्चात् अपीलार्थी ने इस अपीलवाद में निहित भूमि के निश्वत स्वत्व वाद सं0– 353/2012 दिनांक 11.12.12 को माननीय सब जज नं0– 4 दरभंगा के न्यायालय में दायर किया है। अभिलेख पर अंचलाधिकारी बहेड़ी का दाखिल खारिज वाद सं0– 1504/12–13 उपलब्ध है का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कपूर्ण बहस को सुना। इस अपील वाद में इतना स्पष्ट है कि अपीलार्थी की पत्नी श्रीमति शांति देवी के द्वारा हीं उत्तरवादी के पक्ष में दिनांक 05.10.12 को खाता नं0– 3 खेसरा नं0– 561 पूराना 426 नया एवं खाता नं0– 50 खेसरा नं0– 549 पूराना 434 नया, 562,563,564 पुराना 420 नया 501 पुराना 435 नया की मिलजुमले रकवा 05 कट्ठा सहित दरख्तान का बयनामा मो0 एक लाख पचहत्तर हजार रूपया में किया गया, जिसकी जमाबन्दी सं0– 285 विक्रेता के नाम चलती थी तथा क्रेता उतरवादी श्रीमति लीला देवी पति– सुरेन्द्र मंडल ने उक्त बयनामा के आधार पर दखल कब्जे में होने का दावा करते हुए दाखिल खारिज के निमित अंचलाधिकारी, बहेड़ी के समक्ष R.T.P.S. के तहत दिनांक 09.11.12 को आवेदन दिया जिसपर राजस्व कर्मचारी के दखल कब्जा की जाँचोपरान्त उतरवादी का दखल कब्जा पाकर उतरवादी के नाम दाखिल खारिज की स्वीकृति की अनुशंसा से संतुष्ट होकर तथा बिहार दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की सिद्धान्तों का पालन करते हुए विद्वान अंचलाधिकारी द्वारा उतरवादी के नाम दाखिल खारिज का स्वीकृतादेश दिया गया है जो विधि संगत है। सुनने से विदित होता है कि अपीलार्थी के द्वारा दाखिल खारिज स्वीकृतादेश के पश्चात् विद्वान सब जज दरभंगा के न्यायालय में दिनांक 11.12.12 को स्वत्व वाद सं0– 353/12 दाखिल	

28/09/13

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	किया गया है जिसमें इस वाद की प्रश्नगत भूमि सहित अन्य भूमि तथा उतरवादी सहित अन्य को पक्षकार बनाया गया है। इस प्रकार कानून का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि जब किसी भूमि पर स्वत्व वाद लंबित हो तो उक्त स्थिति में दाखिल खारिज की कार्रवाई अथवा अपील वाद में किसी तरह का कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार इस वाद में किसी पक्ष के विरूद्ध कोई भी अन्यथा आदेश पारित करना श्रेयष्कर प्रतीत नहीं होता है। चुँकि स्वत्व वाद दाखिल खारिज आदेश के पश्चात् दायर है एवं प्रस्तुत अपील भी उक्त स्वत्व वाद दायर होने के पश्चात् ही दायर है। अतएव अंचलाधिकारी द्वारा पारित आदेश जो विधि संगत है पर कोई Coment समीचीन नहीं होगा। अतः स्वत्व वाद सं0– 353 / 12 माननीय सब जज नं0 4 दरभंगा के न्यायालय में लंबित रहने की स्थिति अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को तत्काल खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति के साथ अंचल अभिलेख को वापस करें। लेखाप्ति एव शुद्धित 28/09/13 भू0 सु0 उप समाहर्त्ता सदर, दरभंगा। 28/09/13 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सदर, दरभंगा।	